

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर  
आदेश

**S.B. Civil Misc. Appeal No. 413/1991**

राजस्थान राज्य एवं अन्य  
बनाम  
त्रिलोकी नाथ सहानी एवं अन्य

आदेश दिनांक

06 अक्टूबर, 2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री राजेन्द्र प्रसाद अतिरिक्त महाधिवक्ता मय  
श्री करन टिबरेवाल अधिवक्ता- राज्य की ओर से  
श्री सिद्धार्थ बापना अधिवक्ता- प्रत्यर्थी की ओर से  
श्री दौलत शर्मा अधिवक्ता-आवेदक की ओर से

--

प्रकरण आज आवेदन संख्या-13806/2018, 24150/2018 ,  
24151/2018 व 12788/2018 पर सूचीबद्ध हुआ है।

आवेदन संख्या-13806/2018 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 A सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुना गया।

आवेदन में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या-1.4 श्रीमती कमलेश सभरवाल की मृत्यु दिनांक 30.08.2008 को तथा प्रत्यर्थिया संख्या-1.1 श्रीमती राजकुमारी की मृत्यु दिनांक 06.03.2006 को होने का तथ्य अभिलेख पर लिया जाता है।

तदनुसार आवेदन निस्तारित किया जाता है।

आवेदन संख्या-24150/2018 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9, 4 व 4-A सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं आवेदन संख्या-24151/2018 अन्तर्गत धारा-5 परिसीमा अधिनियम पर सुना गया।

आवेदकगण की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद ने निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या-1.4 श्रीमती कमलेश सभरवाल की दिनांक 30.08.2008 को तथा प्रत्यर्थी संख्या-1.1 श्रीमती राजकुमारी की दिनांक 06.03.2006 को मृत्यु होना प्रत्यर्थीगण ने बताया है परन्तु उससे पूर्व ही इस न्यायालय द्वारा अपील का निस्तारण किया जा चुका था और

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील नं. 1731/2004 लम्बित थी, जहां पर उक्त दोनों मृतक प्रत्यर्थागण के कायम मुकामान दिनांक 11.08.2010 को प्रत्यर्थागण के आवेदन पर अभिलेख पर आ चुके थे।

चूंकि इस न्यायालय के समक्ष अपील लम्बित नहीं थी, इसलिए उनके कायम मुकामान को अभिलेख पर लेने का आवेदन पेश करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उन्होंने निवेदन किया है कि जब एक बार अपील में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मृतक प्रत्यर्थागण के कायम मुकामान अभिलेख पर आ चुके थे, तो न तो अपील Abate हो सकती है और न ही अन्य कोई आदेश पारित किया जा सकता है।

मृतक प्रत्यर्था संख्या-1.4.1 के विद्वान् अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ बाफना ने आवेदन का विरोध करते हुए निवेदन किया है कि आवेदन अत्यधिक विलम्ब से पेश किया गया है, अतः निरस्त किया जावे। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में बलवंत सिंह(मृतक) बनाम जगदीश सिंह एवं अन्य (2010) 8 एस सी सी 685 एवं कतारी सूर्यनारयणा एवं अन्य बनाम कोप्पीसेट्टी सुब्बाराव एवं अन्य (2009) 11 एस सी सी 183 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं।

सुनकर विचार किया गया।

स्वयं मृतक प्रत्यर्था के विद्वान् अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने आदेश 22 नियम 10-A सिविल प्रक्रिया संहिता का आवेदन दिनांक 02.04.2018 को पेश किया है और अपीलार्थी ने दिनांक 08.08.2018 को आदेश 22 नियम 9,4 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता का आवेदन पेश किया है।

अन्यथा भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यहां पर मृतक प्रत्यर्थागण के कायम मुकामान अभिलेख पर आ चुके हैं।

अतः समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए व इस तथ्य को देखते हुए कि विधायिक ने आदेश 22 नियम 10-A सिविल प्रक्रिया संहिता में मृतक प्रत्यर्था की अभिलेख की अभिस्वीकृति तब तक प्रभावी रखी है, जब तक कि वह न्यायालय के समक्ष मृत्यु की सूचना व उसके कायम मुकामान की सूचना न देवे।

उक्त सूचना ही उन्होंने वर्ष 2018 में दी है और उसके चार माह बाद ही अपीलार्थी ने आवेदन पेश कर दिया है।

अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त बलवन्त सिंह(मृतक) बनाम जगदीश सिंह एवं अन्य तथा कतारी सूर्यनारयणा एवं अन्य बनाम कोप्पीसेट्टी सुब्बाराव एवं अन्य के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने के कारण प्रत्यर्थी को कोई मदद नहीं करते हैं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस एल पी लम्बित रहने के दौरान मृतक के कायम मुकामान अभिलेख पर आ चके थे।

अतः उक्त समस्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए आवेदन पेश करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाना उचित प्रतीत होता है।

तदनुसार आवेदन स्वीकार कर Abatement set aside किया जाता है। मृतक प्रत्यर्थी संख्या-1.1 श्रीमती राजकुमारी के के विधिक प्रतिनिधिगण पूर्व से ही अभिलेख पर होने के कारण उनके नाम के आगे (deceased) लिखा जावे तथा मृतक प्रत्यर्थी संख्या-1.4 श्रीमती कमलेश सभरवाल के आवेदन में वर्णित कायम मुकामान 1.4.1 चेतन्य सभरवाल, 1.4.2 तनुज सभरवाल को अभिलेख पर लिया जाता है।

तदनुसार आवश्यक औपचारिक आदेश पारित किया जाकर औपचारिक रूप से विलम्ब माफ किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधित वाद शीर्षक पेश कर दिया गया है, जिसे कार्यालय पत्रावली में उचित स्थान पर लगावे।

एतदनुसार आवेदन संख्या-24150/2018 व 24151/2018 निस्तारित किया जाता है।

सत्यमेव जयते

आवेदन संख्या-12788/2018 अन्तर्गत आदेश 41 नियम 24 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुना गया।

अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद ने उक्त आवेदन का जवाब पेश करने के लिए अवसर चाहा, जो प्रार्थनानुसार उन्हें प्रदान किया जाता है।

उक्त आवेदन की सुनवाई मुख्य अपील की सुनवाई के साथ की जावेगी।

विद्वान् अधिवक्ता श्री दौलत शर्मा ने उपस्थित होकर निवेदन किया है कि उन्होंने इस प्रकरण में नेशनल हाऊसिंग कॉर्पोरेटिव सोसायटी की ओर से पक्षकार बनने के लिए आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पेश किया है, जो आज शामिल पत्रावली नहीं है।

अतः कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि यदि ऐसा कोई आवेदन पेश किया गया है तो उसे यथा स्थान शामिल पत्रावली किया जावे।

प्रार्थनानुसार पत्रावली दिनांक 24.10.2018 को पुनः न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा )

अनिलशर्मा/M-16



सत्यमेव जयते